

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक / अकादमिक / अ०म० / 2021 / 1039

रीवा, दिनांक 5-8-21

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत विधि संकाय अन्तर्गत विधि के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यवाही द्वारा अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी -

विधि अध्ययन मण्डल


अधिनियम	28(2) एक	1.	रिवत
	28(2) दो	1.	डॉ० पुष्पा ठाकुर प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, विधि, शास० महाविद्यालय, मऊगंज, रीवा (म०प्र०)
		2.	डॉ० मुकेश साहू प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, विधि, श्री रामकृष्ण कालेज विधि महाविद्यालय, सतना (म०प्र०)
	28(2) तीन	1.	रिवत
	28(2) चार	1.	डॉ० रवीन्द्र तिवारी सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, विधि, शास० विधि महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
		2.	रिवत
	28(2) पाँच	1.	श्री मनीष मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, विधि, श्रीयुत महाविद्यालय, गंगेव, रीवा (म०प्र०)
		2.	डॉ० हेमलता सिंह, सहायक प्राध्यापक, विधि, स्वामी नीलकण्ठ विधि महाविद्यालय, मैहर, सतना (म०प्र०)

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत डॉ० पुष्पा ठाकुर को विधि अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


कुलसचिव
5.8.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म०प्र०)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म०प्र०)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, विधि संकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म०प्र०)
8. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक,


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)